मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मंडल विनियम, 1977

1. संक्षिप्त नाम
2. परिभाषाएँ
3. शासकीय सेवकों को लागू कतिपय नियमों की प्रयुक्ति
4. अधिकारियों तथा सेवकों के लिए दण्ड
5. प्रतिभूति की रकम
6. प्रतिभूति का रूप
7. डाकघर बचत निक्षेप तथा अन्य प्रतिभूतियाँ
8. मंडल के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति
9. उप विनियम (2) के उपबधो के अधीन
10. समितियों की नियुक्ति और उनके कृत्य (अधिनियम की धारा 23 के अधीन)
11. अधिनियम की धारा 24 के अधीन व्यय करने की शक्तियाँ
12. मंडल के कर्मचारीवृन्द का कल्याण तथा आमोद-प्रमोद, धारा 103-च के अधीन
13. दस्तावेजों, प्राक्कलनों तथा रेखांको आदि की प्रतिलिपियों के लिए देय फीस, धारा 103 - छ के अधीन
    - परिशिष्ट

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मंडल विनियम, 1977

अधिसूचना क्रमाक 1842-686-32-1-76 दिनांक 25-10-1977, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (1973 का संख्यांक 3) धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए मंडल ने निम्नलिखित विनियम बनाए है जिन्हे राज्य सरकार ने यथावत् रूप मे प्राधिकृत कर दिया है, अर्थात्-

1.संक्षिप्त नाम.- ये विनियम 'मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मंडल विनियम, 1977 कहलायेंगे ।

2. परिभाषाएँ.- इन विनियमो में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
"अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973)।

3. शासकीय सेवकों को लागू कतिपय नियमों की प्रयुक्ति.- समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 उस विस्तार तक कि वे अधिनियम के उपबंधो तथा इन विनियमो से असंगत न हो, मंडल के अधिकारियो तथा सेवकों को उसी प्रकार लागू होगे जिस प्रकार कि वे वैसी ही प्रास्थिति स्टेटस, के शासकीय सेवको को लागू होते हैं ।

4. अधिकारियों तथा सेवकों के लिए दण्ड.- धारा 16 के अधीन समस्त ऐसी शक्तिया, जो पदोन्नतियाँ करने तथा छुट्टी मंजूर करने की शक्ति से भिन्न हो, ऐसे अधिकारियो द्वारा प्रयोग मे लायी जायेगी, जो विनियम 8 मे यथावर्णित तत्संबंधी पद पर नियुक्तियों करने के लिए सक्षम हो ।

5. प्रतिभूति की रकम.- नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मंडल के अधिकारी तथा सेवक उसके अनुसूची के कालम (3) मे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति देंगे ।

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी तथा सेवक	प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)
1.	खजांची संपत्ति प्रबंधक यूनिट	2,000
2.	अन्य कार्यालय के खजांची	1,000
3.	भाटक संग्रहणीकर्ता रेन्ट कलेक्टर	1,000
4.	भंडारी लिपिक	1,000
5.	उप इंजिनियर	2,000
6.	कार्य-सहायक वर्क असिस्टेंट	1,000

6. प्रतिभूति का रूप-विनियम 5 के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति निम्नलिखित रूपो मे से किसी एक रूप मे दी जाएगी, अर्थात् -

(क) नगद
(ख) डाकघर बचत बैक खाता
(ग) बैंककारी कम्पनी/उपक्रम का अर्जन और अन्तरण अधिनियम 1970 (1970 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची के कालम 2 मे विनिर्दिष्ट बैको मे से किसी भी बैक मे आवर्ती जमा खाता।

7. डाकघर बचत निक्षेप तथा अन्य प्रतिभूतियाँ.- (1) डाकघर बचत बैक निक्षेप प्रतिभूति के रूप मे स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि निक्षेपकर्ता ने विहित प्ररूप में एक हस्ताक्षरित पत्र पोस्टमास्टर को दे दिया हो । अनुकल्पत प्रतिभूति नकद के रूप मे भी इस प्रार्थना के साथ प्रस्थापित की जा सकेगी कि इसे गिरवीदार के नाम से डाकघर बचत बैंक मे जमा किया जाए । पश्चात कथित मामले मे गिरवीदार उस व्यक्ति के जरिये जिसे प्रतिभूति देना है प्रतिभूति का प्रकार स्पष्ट करते हुए और पोष्टमास्टर से निक्षेप प्राप्त करने और उसके (गिरवीदार के) नाम से पासबुक जारी करने की अपेक्षा करते हुए एक पत्र भेजेगा

। वह व्यक्ति जिसे प्रतिभूति देना है नकद मे अपेक्षित रकम तथा गिरवीदार द्वारा नीचे की और हस्ताक्षरित विहित प्ररूप मे बचत बैक सूचक पत्र के साथ डाकघर मे एक पत्र प्रस्तुत करेगा । पोस्ट मास्टर प्रतिभूति गिरवी रखने वाले व्यक्ति को बचत बैंक पास बुक देगा । पश्चात् कथित व्यक्ति उसे (पास बुक की) गिरवीदार को तुरन्त पहुँचा देगा ।

(2) बैंककारी कम्पनी उपकमो का अर्जन और अन्तरण अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन 1970) की प्रथम अनुसूची के कालम 2 मे विनिर्दिष्ट बैंको मे से किसी भी बैक मे निक्षेप के लिए पासबुक प्रतिभूति के रूप मे स्वीकार की जाएगी बशर्ते की खाता मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मंडल के पास गिरवी रखा जाए ।

(3) गृह-निर्माण आयुक्त, कम्पनी द्वारा लिखित मे प्रार्थना किए जाने पर उसके द्वारा (कर्मचारी द्वारा) जमा की गई तथा गिरवी रखी गई प्रतिभूति की रकम के विनिधान की रीती मे परिवर्तन कर सकेगा :

परन्तु विनिधान इस विनियम मे वर्णित रूपो मे से किसी एक रूप मे किया जाएगा ।

(4) कर्मचारियो को नकद मे दी गई प्रतिभूतियो को छोडकर अन्य प्रतिभूतियों पर बार्षिक ब्याज का अधिकार होगा

परन्तु मंडल को कोई हानि पहुँचाने वाले किसी कर्मचारी की दशा मे इस विनियम के अधीन उसे शोध्य ब्याज तब तक के लिए रोक लिया जाएगा जब तक कि ऐसी हानि की वसूली या अन्य प्रकार से मामला तय नही हो जाता ।

(5) मंडल के किसी सेवक का प्रतिभूति निक्षेप दस तारीख से जिसको कि वह अपना पद रिक्त करता है कम से कम छह मास के लिए रोक लिया जाएगा किन्तु प्रतिभूति बंधपत्र स्थायी रूप से रोक लिया जाएगा या तब तक रोक रखा जाएगा जब तक कि वह निश्चित न हो जाए कि इसे रखने की और आगे आवश्यकता नही है । प्रतिभूति निक्षेप वापस करते समय उसकी (कर्मचारी की) सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा साक्षयित अभिस्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी जब कोई ब्याज प्रतिभूति वापस की जाए या पुन: अन्तरित की जाए तो अभिस्वीकृति में प्रतिभूति की पूर्ण विशिष्टियों उपवर्णित की जाएगी ।

(6) कर्मचारी के स्थानान्तरित होने पर प्रतिभूति निक्षेप तथा प्रतिभूति बंधपत्र की वापसी- जब किसी ऐसे कर्मचारी का जिसने किसी एक कार्यालय मे प्रतिभूति दी हो मंडल के नियंत्रण के अधीन दूसरे किसी कार्याल्य मे स्थानान्तर हो जाए तब प्रतिभूति प्रथम कार्यालय द्वारा तब तक प्रतिधारित की जाएगी जब तक प्रतिभूति बंधपत्र मे विनिर्दिष्ट कालावधि समाप्त न हो जाए ताकि प्रथम कार्यालय में उसकी (कर्मचारी की) सेवाओं के सबध मे उस कालावधि के दौरान वसूल किए जाने के लिए आदिष्ट कोई रकम उससे (कर्मचारी से) वसूल की जा सके । विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर ऐसा कर्मचारी जिसने प्रतिभूति ली हो, गिरवीदार से उसे अपने पक्ष में नियुक्त करा लेगा, और जिस कार्यलय मे कर्मचारी का स्थानान्तरण किया गया हो उस कार्यालय के प्रमुख के पास यह निवेदन करते हुए पहुँचा देगा कि वह गिरवीकर्ता को, उसके द्वारा नया प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित करने के लिए लौटा दी जाए तथा प्रतिभूति को उचित प्राधिकारी के पक्ष मे, उस सीमा तक जिस तक की आवश्यक हो, सम्यक् रूप से गिरवी रखा ली जाए । तथापि गिरवीकर्त्ता की उपरोक्त अभिस्वीकृति अपरिहार्य रूप से प्राप्त की जाएगी पहले कार्यालय के प्रमुख अधिकारी को भेज दी जाएगी ।

कर्मचारी जिस कार्यालय को स्थानान्तरित किया गया हो उस कार्यालय का प्रमुख अधिकारी उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह पहले के पद के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूति की रकम से नये पद के लिए अपेक्षित प्रतिभूति की रकम जितनी अधिक हो उतनी रकम की प्रतिभूति तत्काल प्रस्तुत करे । इसके अतिरिक्त यदि वह मूल प्रतिभूति को पर्याप्त समझे तो उसके प्राप्त होने तथा पुन: सम्यक् रूप से गिरवी रखे जाने की प्रतीक्षा करेगा और कर्मचारी से नई प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए नही कहेगा । जिस कार्यालय से कर्मचारी स्थानान्तरित किया गया हो उस कार्यालय के प्रमुख अधिकारी से वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसने प्रतिभूति के अन्तरण के पूर्व कितनी रकम की प्रतिभूति प्रस्तुत की थी ओर फिर वह यह निश्चित करेगा कि क्या वह प्रतिभूति पर्याप्त होगी या कि क्या उस कर्मचारी से सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने को कहा जाए ।

(7) कर्मचारी, सेवा में रहते हुए या प्रतिभूति लौटाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा मे प्रतिभूति निक्षेप प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा

परन्तु जहा कोई नामनिर्देशन न हो वहा मंडल केवल उसी व्यक्ति या उन्ही व्यक्तियो को रकम का भुगतान करेगा

जो उक्त व्यक्ति या व्यक्तियो को रकम प्राप्त करने के लिए हकदार बनाने वाले सक्षम न्यायालय के आदेशो को पेश करे ।

(8) प्रतिभूति निक्षेप की रकम एतद्धीन यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य मे चूको के लिए पूर्ण रूप से समपहत की जाएगी, अर्थात् -

(क) व्यपहरण या दुर्नियोग - सपूर्ण प्रतिभूति का समपहरण भले ही अन्तर्वलित रकम प्रतिभूति निक्षेप की रकम से कम क्यो न हो ;

(ख) कर्तव्य की उपेक्षा के परिणामस्वरूप मंडल को हानि न हो - अन्तर्वलित हानि की रकम की समतुल्य रकम का समपहरण

(ग) कोई अन्य हानि जो उपेक्षा या अदक्षता के कारण न हुई हो - वास्तविक हानि की वसूली ।

(9) इस विनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही का कर्मचारी पर उसे, लागू - सेवा विनियमो के अधीन कोई दण्ड अधिरोपित करने के बोर्ड के प्रधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

(10) निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप - प्रतिभूति देने वाला प्रत्येक कर्मचारी. इन विनियमो से सलग्न प्ररूप में या किसी अन्य प्ररूप मे जो प्रत्येक मामले में गृह-निर्माण आयुक्त द्वारा समुचित समझा जाए, एक करार निष्पादित करेगा प्रत्येक ऐसे बंधपत्र का निर्देश प्रतिभूति निक्षेप के रजिस्टर मे अभिलिखित किया जाएगा ।

(11) प्रतिभूति निक्षेप तथा सबह दस्तावेजो की अभिरक्षा की रीति - प्रतिभूति निक्षेपो से संबद्व विभिन्न दस्तावेज संबंधित कार्यालय के लेखा अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा मे रखी जायेगी । समस्त बचत बैंक पासबुके प्रत्येक वर्ष 15 जून के पश्चात् यथा संभव शीघ्र डाकघर या बैंक को भेजी जाएगी ताकि ब्याज मे मदद आवश्यक प्रविष्टियाँ उनमे की जा सके ।

(12) उन व्यक्तियो द्वारा जो पहले से सेवा मे हों, प्रतिभूति देने की समय सीमा - इन विनियमो के प्रवृत्त हाने की तारीख को जो व्यक्ति मंडल की सेवा मे हो, वे व्यक्ति उनसे प्रतिभूति लेने की अपेक्षा करने वाले आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रतिभूति देंगे ।

(13) कर्त्तव्य ग्रहण करने के समय प्रतिभूति दी जाएगी - जब किसी व्यक्ति से उसकी नियुक्ति की पूर्ववर्ती शर्त के रूप मे प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाए तो वह कर्त्तव्य ग्रहण करने के समय ऐसी प्रतिभूति देगा

8. मंडल के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति.- किसी व्यक्ति को मंडल के अधीन किसी ऐसे पद पर-

(क) जिसका अधिकतम वेतन एक हजार दो सौ रूपए से अधिक न हो नियुक्त करने की शक्ति अध्यक्ष मे निहित होगी

(ख) जिसका अधिकतम वेतनमान सात सौ रूपए से अधिक न हो नियुक्त करने की शक्ति गृह-निर्माण आयुक्त में निहित होगी

(ग) जिसका अधिकतम वेतन मान तीन सौ रूपए से अधिक न हो, नियुक्त करने की शक्ति उपग्रह-निर्माण आयुक्त मे निहित होगी

(घ) जिसका अधिकतम वेतनमान दौ सौ रूपये से अधिक न हो, नियुक्त करने की शक्ति कार्यपालक इजीनियर मे निहित होगी ।

9. उप विनियम (2) के उपबधो के अधीन (1) उप विनियम (2) के उपबधो के अध्यधीन रहते हुए मंडल के अधिकारी तथा सेवक छुट्टी के संबंध मे उन्ही नियमो द्वारा शासित होगे जो राज्य सरकार के अधीन तत्समान पद धारण करने वाले शासकीय सेवको को लागू है ।

(2) नीचे दी गई अनुसूची के कालम 2 में वर्णित अधिकारियो तथा सेवकों के संबध मे छुट्टी मजूर करने की शक्ति उसके (अनुसूची के) कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियो विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में निहित होगी

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी तथा सेवक	प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	गृह-निर्माण आयुक्त	अध्यक्ष
2.	कार्यपालक इंजिनियर, सहायक इंजिनियर,मुख्य लेखा अधिकारी,मुख्य कार्यालय से संबद्ध प्रथम वर्ग अधिकारी, द्वितीय वर्ग अधिकारी	गृह-निर्माण आयुक्त
3.	अनुक्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी वृंद से भिन्न गृह-निर्माण उपायुक्त की अधिकारिता के अधीन आने वाला कर्मचारीवृन्द	गृह-निर्माण उपायुक्त
4.	कार्यपालक इंजिनियर की अधिकारिता के अधीन आने वाला कमचारीवृन्द	

10. समितियों की नियुक्ति और उनके कृत्य (अधिनियम की धारा 23 के अधीन) –

(1) समितियों की नियुक्ति मंडल समितियो की नियुक्ति कर सकेगा जिसमे निम्नलिखित वर्ग के व्यक्ति होगे-
(एक) मंडल के सदस्य
(दो) ऐसे अन्य व्यक्ति जिनकी सहायता या जिनकी सलाह लेना मंडल आवश्यक या वांछनीय समझे ।
(2) समिति मे कम से कम तीन सदस्य होगे ।
(3) मंडल का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव रख सकेगा ।

(4) समिति का विघटन - मंडल किसी भी समय समिति को विघटित कर सकेगा या खण्ड (2) के उपबधो के अध्यधीन रहते हुए ऐसी किसी समिति के गठन मे परिर्वतन कर सकेगा ।

(5) समिति के कृत्य - मंडल -

(एक) ऐसी किसी भी समिति को अधिनियम के किसी भी प्रयोजन से संबंधित कोई भी मामला जाँच के लिए तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और

(दो) ऐसी किसी भी समिति को विशिष्ट संकल्प द्वारा और ऐसे निर्बधनो के अध्यधीन रहते हुए, जो कि मंडल इस सबध मे निर्दिष्ट करे मंडल की कोई भी शक्तिया या कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(तीन) प्रत्येक समिति ऐसे अनुदेशो तथा निर्देशो के अनुसार कार्य करेगी, जो कि समय-समय पर मंडल द्वारा उसे दिए जाएँ ।

(6) (क) समिति कारबार का संचालन करने के लिए कम से कम दो मास मे एक बार सम्मिलन करेगी

(ख) समिति का सम्मिलन या तो साधारण होगा या विशेष होगा

(ग) प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी

(घ) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, उसका समय तथा स्थान और उसमे सम्पादित किया जाने वाला कार्य विनिर्दिष्ट करते हुए साधारण सम्मिलन के पूरे तीन दिन पूर्व तथा विशेष सम्मिलन के पूरे दो दिन पूर्व समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी

(ड्) समिति का अध्यक्ष जब कभी वह उचित समझे विशेष सम्मिलन बुला सकेगा और कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर सम्मिलन बुलाने

के लिए आबद्ध होगा

(च) समिति का प्रत्येक सम्मिलन सामान्यतया मंडल के मुख्यालय पर होगा, तथापि कोई सम्मिलन अध्यक्ष के अनुमोदन से राज्य में किसी अन्य स्थान पर हो सकेगा

(छ) किसी सम्मिलन मे कोई भी कामकाज तब तक सम्पादित नही किया जाएगा जब तक कि सदस्यो की कुलसंख्या के आधे की गणपूर्ति सम्मिलन मे पूरे समय तक न रहे

(ज) यदि किसी सम्मिलन में, उसके आरम्भ से अन्त तक किसी भी समय गणपूर्ति न रहे तो पीठासीन प्राधिकारी कम से कम तीस मिनिट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् सम्मिलन की, आगामी या किसी अन्य अगले दिन को ऐसे समय के लिए जिसे वह युक्ति-युक्त रूप से नियत करे, स्थगित कर देगा । ऐसे स्थगन की सूचना समिति के प्रत्येक सदरच को भेजी जाएगी और वह काम-काज जो मूल सम्मिलन मे उसमे गणपूर्ति की स्थिति मे लाया जाता स्थगित सम्मिलन के समक्ष लाया जाएगा और ऐसे सम्मिलन मे या उसके पश्चात्वर्ती किसी भी स्थगित सम्मिलन में निपटाया जाएगा भले ही उसमे गणपूर्ती हो या न हो

(झ) किसी भी ऐसे पश्चात्वर्ती सम्मिलन में मूल सम्मिलन के लिए नियत कामकाज के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामकाज सम्पादित नही किया जाएगा ।

(ञ) समिति के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियो का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा और उस पर समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे,

(ट) खण्ड "अ" के अधीन अभिलिखित की गई कार्यवाहियो के कार्यवृत मे निम्नलिखित बाते सम्मिलित होगी ।

(एक) उपस्थित सदस्यो के नाम
(दो) विचार किए गए प्रत्येक प्रश्न पर सम्मिलन का विनिश्चय, और
(तीन) जब ऐसा विनिश्चय सर्वसम्मत न हो तब मतो की सख्या तथा ऐसे प्रश्न के पक्ष और विपक्ष मे मतदान करने वाले सदस्यो के नाम तथा उन सदस्यों के नाम जो तटस्थ रहे हो।

(ठ) समिति के किसी सम्मिलन के समक्ष लाए गए प्रश्नो पर उपस्थित सदस्यो के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा, और मत बराबर होने की दशा मे सम्मिलन के पीठासीन अधिकारी का द्वतीय या निर्णायक मत होगा ।

(7) पदावधि - किसी भी समिति मे नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसी कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् जिसके लिए नियुक्त किया गया था या ऐसे प्रयोजन के विद्यमान न रहने के पश्चात् जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, समिति में नही रहेगा ।

(8) मंडल का सदस्य सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसा कोई अधिकारी जो गह-निर्माण उपायुक्त के पद से निम्न पद का न हो, ऐसी प्रत्येक समिति का सदस्य सचिव होगा ।

(9) मंडल के सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक सबध मे लागू होने वाले नियम ऐसी प्रत्येक समितियों के सदस्यों को भी लागू होंगे ।

11. अधिनियम की धारा 24 के अधीन व्यय करने की शक्तियाँ - इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए किसी एक निर्माण कार्य या स्कीम के प्राक्कलनो को तकनीकी मंजुरी देने तथा किसी एक निर्माण कार्य या स्कीम की निविदाएं स्वीकार करने की मंडल की शकियाँ नीचे दी गई सारणी के कालम (2) मे वर्णित मंडल के अध्यक्ष और अधिकारियो को उसके सारणी के कालम (3) मे विनिर्दिष्ट व्यय की सीमा तक प्रत्यायोजित की गई है ।

*(सारणी)

अनुक्रमांक	अध्यक्ष तथा अधिकारी	व्यय की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	मंडल	ऐसी रकम जो रूपये 70 लाख से अधिक हो ।
2.	अध्यक्ष	ऐसी रकम जो रूपये 35 लाख से अधिक हो किन्तु 70 लाख से अधिक न हो ।
3.	गृह-निर्माण आयुक्त	ऐसी रकम जो रूपये 20 लाख से अधिक हो किन्तु रूपये 35 लाख से अधिक न हो।
4.	चीफ इंजिनियर	ऐसी रकम जो रूपये 10 लाख से अधिक हो किन्तु रूपये 5 लाख से अधिक न हो ।
5.	गृह-निर्माण उपायुक्त	ऐसी रकम जो रूपये 5 लाख से अधिक हो किन्तु रूपये 10 लाख से अधिक न हो ।
6.	कार्यपालक इंजिनियर	ऐसी रकम जो रूपये 5 लाख से अधिक न हो किन्तु निविदाए वर्तमान अनुसूची की दरों से 35 प्रतिशत के ऊपर न हो ।

निर्माण कार्यो तथा स्कीमों से संबंधित निविदा के सबध मे बातचीत मे तय किए गए प्रस्ताव केवल अध्यक्ष तथा गृह-निर्माण आयुक्त द्वारा स्वीकार किए जायेगे और उनकी शक्तियाँ क्रमश: 5 लाख और 5 लाख तक होगी । 15 लाख से अधिक रकम की बातचीत से तय किए गए प्रस्ताव केवल मंडल द्वारा स्वीकार किए जायेगे । अध्यक्ष तथा गृह-निर्माण आयुक्त उनके द्वारा किए गए व्यय की रिपोर्ट मंडल को तथा गृह-निर्माण उपायुक्त और कार्यपालक इजीनियर उनके द्वारा किए गए व्यय की रिपोर्ट गृह-निर्माण आयुक्त को अनुसमर्थन के लिए देंगे ।

12. मंडल के कर्मचारीवृन्द का कल्याण तथा आमोद-प्रमोद, धारा 103-च के अधीन.-

(1) कल्याण तथा आमोद-प्रमोद समिति का गठन - मंडल के मुख्यालय मे और प्रत्येक गृह-निर्माण संभाग मे एक कल्याण तथा आमोद-प्रमोद समिति होगी । समिति मे सभापति, उपसभापति, सचिव तथा कोषाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए पाँच सदस्य होगे । समिति के सदस्य क्रमश: गृह-निर्माण मंडल के मुख्यालय के तथा प्रत्येक गृह निर्माण संभाग के अधिकारियो तथा कर्मचारियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जायेगें और उस तारीख से जिसको कि उन्होने कार्य भार ग्रहण किया हो, एक वर्ष की कालावधि के लिए पद ग्रहण करेगे ।

(2) समिति के कृत्य - समिति अधिकारियो तथा कर्मचारियों के कल्याण और आमोद-प्रमोद के कार्यकलापो की व्यवस्था करेगी जिसमे निम्नलिखित सम्मिलित होगे -

(एक) खेल कूद/आभ्यंतर तथा बाहय, इन क्रिया कलापों को अग्रसर करने के लिए क्रीडाओं तथा प्रतियोगिताओ की व्यवस्था करना.

(दो) वाचन क्लब खोलना, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, समाचार पत्र तथा अन्य नियतकालिक पत्र-पत्रिकाएँ खरीदना

(तीन) कल्याण तथा आमोद-प्रमोद के ऐसे अन्य क्रिया-कलाप जो मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाएँ ।

(3) समिति की निधियाँ - समिति की निधियो मे मंडल द्वारा दिया गया अंशदान तथा अन्य स्त्रोतो से अनुदान और दान भी सम्मिलित है ।

(4) मंडल के अभिदाय - मंडल, समिति के आवेदन पर कर्मचारीवृन्द के कल्याण तथा अमोद-प्रमोद के क्रिया-कलापों के लिए प्रत्येक गह-निर्माण संभाग को प्रत्येक वर्ष रूपए 500 (रूपए पाँच सौ केवल) का वार्षिक अभिदाय मजूर कर सकेगा वशर्ते मंजूर रकम कम से कम 50 प्रतिशत का अभिदाय पूर्वतम वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारीवृन्द द्वारा दिया गया हो । यदि कर्मचारीवृन्द का अभिदाय मंडल के अभिदाय के 50 प्रतिशत से कम हो तो मंडल के अभिदाय मे आनुपातिक रूप से कमी कर दी जाएगी।

(5) अभिदाय के लिए आवेदन - अभिदाय के लिए प्रत्येक आवेदन प्रत्येक वर्ष अप्रैल कें दूसरे पखवाडे के दौरान किया जाएगा ।

(6) लेखे - (1) समिति समुचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और प्राप्तियो तथा व्यय का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी ।

(2) समिति के लेखाओ की जान्च मंडल के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(7) संघ का निर्माण - मंडल निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मंडल के कर्मचारियो के एक या अधिक संघो को मान्यता देने का अधिकार सुरक्षित रखता है -

(एक) उक्त संघ सोसायटियो के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रर्वत्त विधि के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत होगा
(दो) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मंडल का कर्मचारी न हो, ऐसे किसी संघ का पदाधिकारी नही होगा
(तीन) संघ का सविधान मंडल के अनुमोदन के अध्यधीन होगा
(चार) संघ के लेखे ऐसी संपरीक्षा के अध्यधीन होगे जैसा कि मंडल विहित करे
(पांच) मंडल को यह अधिकार होगा कि वह किसी संघ को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसकी मान्यता वापस ले ले । इस प्रकार मान्यता वापस ले लेने का प्रभाव यह होगा कि संध अपने आप विघटित हो जाएगा ।

13. दस्तावेजों, प्राक्कलनों तथा रेखांको आदि की प्रतिलिपियों के लिए देय फीस, धारा 103 - छ के अधीन - (1) दस्तावेजो प्राक्कलनो रेखाको (जो कि गोपनीय अभिलेखो के भाग न हो) की प्रतिलिपियाँ फीस का भुगतान करने पर त था आवेदन करने पर जिसमे वह प्रयोजन उपवर्णित होगा जिसके लिए प्रतिलिपि की आवश्यकता है उस अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसकी अभिरक्षा मे ऐसे अभिलेख रखे गए है ।

(2) विभिन्न प्रकार के अभिलेखो के लिए प्रभार्य फीस नीचे दिए गए अनुसार होगी-

(क) मुद्रलिखित या लिखित सामग्री	रूपए 1.00 प्रतिपृष्ठ ।
(ख) रेखाक तथा मानचित्र	न्यूनतम रूपए 5 के अध्यधीन रहते हुए रूपए 15.00 प्रति वर्गमीटर ।

परिशिष्ट

यह करारनामा आज तारीख - - - - - - मास - - - 19 - - - एक हजार नौ सौ - - - - को एक पक्ष श्री - - - - - - - - - - - - - - - - निवास स्थान (जिसे एतद्पश्चात कर्मचारी कहा गया है) और दूसरे पक्ष मध्यप्रदेश गृह- निर्माण मंडल (जिसे इसमे एतद्पश्चात मंडल कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति मे प्रसंगानुसार उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती है के बीच किया जाता है ।

(2) चूकि कर्मचारी को मास - - - 19 - - - - (एक हजार नौ सौ - - - - - - - - - मे या उसके लगभग मंडल/इकाई के कार्यालय में - - - - - - - के रूप मे नियुक्त की गई थी और वह तभी से एवं अभी भी उसी रूप मे नियोजित है ।

(3) चूकि तारीख - - - - - मास - - - - - - - (एक हजार नो सौ - - - - - - को ऐसी नियुक्ति के समय कर्मचारी - - - - - - - - - - (कर्मचारी का नाम) - ने उपर्युक्त अपने सार्वजनिक कर्तव्यो या अन्य कोई कर्तव्यो जो इसमे इसके पश्चात् किसी भी समय मंडल द्वारा सौपे जाए का सम्यक् रूप से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए रूपए - - - - - - - प्रतिभूति के रूप मे परिदान किया है तथा जमा किया है ।

(4) और चूकि कर्मचारी ने प्रतिभूति निक्षेपो को शासित करने वाले मंडल के विनियमो को पढ लिया है और उनकी एक प्रति पर उक्त विनियमो के खण्डो की समस्त शर्तो से आबद्ध होने की अभिस्वीकृती के रूप मे हस्ताक्षर कर दिए है ।

(5) अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है कि कर्मचारी इसके पश्चात् मंडल की सेवा मे रहने के दौरान समय-समय पर और सभी समयो पर सत्यतापूर्वक परिश्रमपूर्वक निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से सावधानीपूर्वक तथा स्वेच्छा पूर्वक मंडल की सेवा करेगा और उक्त पद के ऐसे सभी कर्तव्यो का पालन करेगा जिनके पालन का यह निदेश मंडल के तत्समय गृह-निर्माण आयुक्त द्वारा या मंडल के ऐसे अधिकारी या अधिकारियो द्वारा दिया जाए जिसके/जिनके अधीन कर्मचारी को मंडल द्वारा या उका अध्यक्ष/गृहनिर्माण आयुक्त द्वारा समय-समय पर रखा जाएगा या रखा जाए ।

(6) और वह अपना सम्पूर्ण समय और ध्यान उक्त मंडल/इकाई के कार्य मे लगाएगा ओर स्वयं की और से किसी भी व्यक्ति या किन्ही भी व्यक्तियो के अभिकर्त्ता के रूप मे कोई अन्य कारबार या व्यवसाय नही करेगा ।

(7) और वह उक्त कार्यालय के सभी सव्यवहारो को जब तक कि किसी विधि न्यायालय द्वारा उन्हे प्रकट करने को कहा जाए/गोपनीय रखेगा और उक्त अध्यक्ष/गृहनिर्माण आयुक्त या यथापूर्वोक्त ऐ२रे अधिकारी या अधिकारियो को उका कार्यालय के कामकाज तथा कारबार के सबध मे समय -समय पर उसकी जानकारी मे आने वाली ऐसी समरत घटनाओ की जानकारी देता रहेगा ।

(8) और मंडल के किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियो के किसी भी स्वरूप या प्रकार के किन्ही भी ऐसे बिलो, लेखा, पुस्तको दस्तावेजो, कागजातो ज्ञापनो या लेखो को न तो रद्द करेगा न बरबाद करेगा न चुरा कर ले जाएगा न मिटाएगा न विरूपित करेगा और न किसी भी प्रकार से उन्हे क्षति पहुचाएगा या न किसी भी व्यक्ति या किन्ही भी व्यक्तियो को, चाहे जो भी हो ऐसा करने देगा ।

(9) और ऐसी समस्त रकम बुलियन जेवरात, दस्तावेजो धन की प्रतिभूतियों माल तथा अन्य वस्तुओ का जो उसे उका कार्यालय की सेवा मे रहने के दौरान इसके पश्चात् समय-- समय पर जनता से प्राप्त हो, उसी दिन, जिस दिन से उसे प्राप्त हो सम्यक् रूप से लेखा-जोखा देगा और मंडल को उनका भुगतान तथा परिदान करेगा और स्वय को दायित्वमुक्त करेगा और माँग की जाने पर मंडल को मंडल के समस्त बिल लेखों पुस्तके अभिलेख या अन्य कागज -पत्र परिदत्त करेगा ।

(10) और वह मंडल के कागजात से संबंधित ऐसे समस्त बिलो, लेखाओ पुस्तकों दस्तावेजो प्रतिभूतियो कागजपत्रो, ज्ञापनो तथा लेखो को जो अव तक उसके प्रभार मे सौंपे गए हो, या इसके पश्चात् समय-समय पर उसके प्रभार मे सोंपे जाएगे या सोपे जाए उचित रूप से और कारोबारी ढंग से रखेगा और उसके द्वारा प्राप्त समस्त धन या माल और उसके द्वारा किए गए समस्त भुगतानो या मंडल/इकाई की ओर से किए गए समस्त कारोबार की सही प्रविष्टियाँ उनमे करेगा ।

(11) और वह उका अध्यक्ष/गृहनिर्माण आयुक्त की सेवा छोडने के अपने आशय की एक मास पूर्व लिखित सूचना

दिए बिना मंडल की सेवा नही छोडेगा ।

(12) और यह करारनामा आगे इस बात का साक्षी है कि पूर्वोक्त बातो के प्रतिफल स्वरूप कर्मचारी इसके द्वारा स्वयं की ओर से अपने निष्पादको, प्रशासको, विधिक प्रतिनिधियो की ओर से मंडल से करार करता है, कि इसमे इसके पूर्व जिन अनेक करारो तथा बातो के पालन, अनुपालन, कार्यान्वयन की बात कही गई है उनके पालन, अनुपालन या कार्यान्वयन में कर्मचारी द्वारा किसी समय कोई व्यतिक्रम किए जाने पर ऐसे मामले में मंडल के लिए यह विधिपूर्ण होगा और हो सकेगा कि वह रूपए...../रूपए.....की उक्त प्रतिभूति को ऐसी समस्त धनराशि या धनराशियों, नुकसानो सालिसीटर के खर्चा तथा अन्य प्रभारो एव व्ययो के भुगतान, तुष्टि तथा उन्मोचन मे प्रयुक्ति करे, जो ऐसे व्यतिक्रम के कारण मंडल को शोध्य हो और प्राप्त हो और मंडल द्वारा उपगत किए गए हो तथा कर्मचारी इसके द्वारा आगे की तथा अपने निष्पादको, प्रशासको तथा प्रतिनिधियो की ओर से मंडल के साथ यह करार करता है कि वह/कर्मचारी उसके द्वारा यथापूर्वोक्त किए गए ऐसे व्यतिक्रम के कारण गृह-निर्माण आयुक्त को हुई नुकसानी की रकम के संबंध में उक्त मंडल के तत्समय गृह-निर्माण आयुक्त के विनिश्चय का पालन करेगा और ऐसा विनिश्चय पक्षो के बीच अंतिम तथा निश्चायक होगा और विनिश्चय होने पर उक्त गृह-निर्माण आयुक्त को उतनी रकम जितनी उसके द्वारा कर्मचारी के शोध्य पाई जाए, कर्मचारी द्वारा अपनी प्रतिभूति के रूप मे मंडल के पास जमा की गई रूपए.....रूपए.....की रकम मे से काट लेने का हक होगा और इस प्रकार शोध्य पाई गई रकम के लिए उसे कोई विधिक या औपचारिक पंचाट नहीं देना होगा या माग नही करनी होगी । कर्मचारी इसके द्वारा रचय की ओर से अपने निष्पादको प्रशासको तथा प्रतिनिधियो की ओर से मंडल के साथ यह भी करार करता है कि इसके पूर्व कर्मचारी द्वारा पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए करार किए गए लोक कर्त्तव्यो से किसी भी प्रकार के सबध या कर्मचारी द्वारा मंडल/इकाई उसके उत्तराधिकारियो या समनुदेशितियो के सेवक के रूप मे जनता से प्राप्त धन, माल या वस्तुओ की प्राप्ति से सम्बद्व किसी कपट, गबन, न्यासभग दुविर्नियोग, छल या अन्य अवचार के आरोप या आरोपों पर किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर कर्मचारी द्वारा यथापूर्वोक्त रूप मे दी गई उक्त प्रतिभूति मंडल द्वारा पूर्णत. समपहत कर ली जाएगी उसके सबध मे कर्मचारी द्वारा मंडल के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही, वाद या अन्य कार्यवाहियाँ नही चलाई जा सकेगी ।

(13) आगे मंडल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कर्मचारी द्वारा इसके पूर्व मे विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों की उपेक्षा किए जाने या अदक्षता के फलस्वरूप, या किन्ही भी अन्य कारणो से मंडल को हुई वास्तविक हानि का मूल्य कर्मचारी द्वारा प्रतिभूति के रूप मे जमा की गई रूपए--------/ रूपए--------की रकम से वसूल कर ले और कर्मचारी जब कभी ऐसा करने की अपेक्षा की जाए ऐसी वसूली के कारण उसकी प्रतिभूति निक्षेप मे होने वाली कमी की तत्काल भरपाई करेगा ।

(14) आगे मंडल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त प्रतिभूति को कर्मचारी के मंडल कों सेवा मे न रहने या उस मंडल के किसी ऐसे पद पर जिसमें प्रतिभूति की अपेक्षा न हो स्थाई रूप से स्थानान्तरित कर दिए जाने की तारीख से 6 केलेण्डर मारने तक अपने पास ऐसे दावे के अध्यधीन रोक रखे जो यथापूर्वोक्त ऐसे व्यतिक्रम अभियोजन तथा दोषसिद्धि के कारण उदभूत होगा या हो ।

(15) और मंडल इसके द्वारा स्वंय की ओर से कर्मचारी उसके निष्पादकों प्रशासको तथा समनुदेशितियो से यह करार करता है कि जब तक उन विभिन्न करारों और बातो का जिनका कर्मचारी द्वारा पालन अनुपालन तथा निष्पादन किए जाने की बात इसमें इसके पूर्व कही गई है पालन अनुपालन तथा निष्पादन करने मे कोई व्यतिक्रम न हो मंडल कर्मचारी उसके निष्पादको, प्रशासको तथा समनुदेशितियो को ऐसा ब्याज प्राप्त करने की अनुमति देगा और प्राप्त करने देगा जो वे प्राप्त कर सके ।

जिसके साक्ष्य स्वरूप कर्मचारी ने इस पर गृह-निर्माण आयुक्त की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए है और मंडल की सामान्य मोहर लगाई है –

ऊपर नामित - - - - - - द्वारा यथापूर्वोक्त - - - - - - - - - - -मै - की उपस्थिति मे हस्ताक्षरित तथा परिदत्त । मंडल की सामान्य मोहर मध्यप्रदेश गह-निर्माण मंडल के गृह-निर्माण आयुका की उपस्थिति मे लगाई गई ।